

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद
Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad

प्रपत्र-1/Form-I

(नियम 14 देखें)

(See Rule 14)

छुट्टी की मंजूरी/छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन
Application for leave or for extension of leave

1. आवेदक का नाम
Name of applicant
2. पद जिस पर कार्यरत हैं
Post held
3. विभाग/कार्यालय और प्रभाग/अनुभाग/इकाई
Department, Office and Division/Section/Unit
4. वेतन (मूल वेतन)
Pay(Basic Pay)
5. मकान किराया भत्ता और वर्तमान पद पर लिए जा रहे अन्य प्रतिकरात्मक भत्ते
House rent and other compensatory allowance drawn in the present post.
6. आवेदित छुट्टी की प्रकृति और अवधि, और तारीख जिससे छुट्टी चाही गई है
Nature and period of leave applied for and date from which required.
7. रविवार और अन्य छुट्टियों की तारीख, यदि कोई हो, जिन्हें उपर्युक्त छुट्टी से पहले या उसके बाद छुट्टी में जोड़ने का प्रस्ताव है
Sundays and Holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave.
8. आवेदित छुट्टी का कारण या आधार जिनपर छुट्टी चाहिए
Grounds on which leave is applied for.

(क्रमशः/Contd.)

9. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की प्रकृति और अवधि
Date of return from last leave and the nature and period of that leave.
10. आगामी अवकाश के दौरान मेरा खंड वर्ष
..... के संबंध में छुट्टी-यात्रा-रियायत लेने का प्रस्ताव है/नहीं है।
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block year.....during the ensuing leave.
11. अवकाश की अवधि के दौरान आवेदक का पता
Address during leave period.
12. मेरे नौकरी से त्यागपत्र देने/ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने की स्थिति में -
In the event of my resignation /Voluntary retirement from service-
- (1) डाक्टरी आधार पर परिवर्तित छुट्टी के संबंध में ली गई छुट्टी का वेतन और अर्धवेतन छुट्टी, जो नियम 30 के उप नियम 1 के तहत देय नहीं होती, के दौरान देय छुट्टी-वेतन में पाए जाने वाले अन्तर की धनराशि, और
The allowance between the leave salary drawn/commuted leave /and that admissible during half pay leave which would not have been admissible and sub-rule 1 of rule 30 would not be applied.
- (2) अदेय (गैर बकाया) अग्रिम छुट्टी जो नियम, 31 के उपनियम 1 के तहत देय नहीं होती, के संबंध में लिया गया छुट्टी का वेतन लौटा दिया जाएगा।
The leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible and sub-rule 1 of rule 31 would not be applied.
13. नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणियाँ और/या सिफारिश
Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.

आवेदक के हस्ताक्षर
(तारीख सहित)

Signature of applicant(with date)

हस्ताक्षर(तारीख सहित)

Signature (with date)

नाम एवं पदनाम/Name & Designation

यदि आवेदक कोई प्रतिकरात्मक भत्ता ले रहा है तो छुट्टी की मंजूरी के आदेश में यह सभी दर्शाया जाए कि छुट्टी खत्म होने पर सरकारी कर्मचारी के उसी पद या अन्य पद जिसपर समान भत्ते मिलते हैं, पर लौटने की संभावना है/
If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowances.

Proforma